



कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन

मध्यप्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462001

दूरभाष : 0755-2665385, ई-मेल : cf damp@rediffmail.com, fdampbhopal@gmail.com

* प्रेस नोट *

प्रदेश की खाद्य प्रयोगशाला में पतंजली घी जांच में असुरक्षित पाये जाने से समस्त
बैच/स्टॉक रिकॉल करने के आदेश जारी

खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा प्रदेश में आम जन के स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा की दृष्टिगत सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने तथा मिलावटी एवं दूषित खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु विशेष अभियान जारी है। इसी के अनुक्रम में आज दिनांक 08.10.2026 को असुरक्षित पतंजलि के घी Cow's Ghee Pack 200 ml. FAWB260017 निर्माण तिथि - अप्रैल 2026 बैच को देश सहित पूरे प्रदेश के खाद्य प्रतिष्ठानों से रिकॉल (वापस करने) हेतु श्री सुखवीर सिंह आयुक्त, खाद्य सुरक्षा म.प्र. द्वारा आदेश जारी किये गये हैं। इसके अंतर्गत असुरक्षित पतंजलि के घी Cow's Ghee Pack 200 ml. FAWB260017 बैच को बाजारों से हटाने की कार्यवाही प्रारंभ हो जायेगी। यदि उक्त बैच का घी बाजारों में पाया जाता है तो उसे तत्काल जप्त किया जायेगा। संबंधित घी निर्माता/विक्रेता के विरुद्ध भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंतर्गत सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।

जारी आदेश की छायाप्रति संलग्न है।

(मनोज पुष्प) I.A.S.

नियंत्रक

खाद्य एवं औषधि प्रशासन

मध्य प्रदेश